

# मध्यप्रदेश विधान सभा

जनवरी-अप्रैल, 2001 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 19 जनवरी, 2001 (पौष 29, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री हरवंश सिंह, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान करराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना क्र. 4-1-2000-आठ, दिनांक 29 जुलाई, 2000 पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री नरोत्तम मिश्रा, चौधरी राकेश सिंह, श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, रीवा में पदस्थ संयुक्त पंजीयक द्वारा अनियमितताएं किये जाने की ओर राज्यमंत्री सहकारिता का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री करन सिंह पवार, सदस्य, धार जिले में कृषकों के ट्रैक्टरों के विद्युत कनेक्शन काटे जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) चौधरी राकेश सिंह, सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लाल सिंह, सदस्य, दमोह में एक चिकित्सक द्वारा मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लाल सिंह, मुंशीलाल, सदस्य, शिवपुरी, मुरैना एवं श्योपुर जिलों में अपहरण एवं लूट की घटनाएँ घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री हिम्मत कोठारी, डॉ. दाल सिंह बिसेन, श्री नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, बाताघाट जिले में नक्सलियों द्वारा बांस कटाई में व्यवधान किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सुश्री कुसुम सिंह, सदस्य, जबलपुर के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी में अध्ययनरत छात्र के लापता होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(7) श्री धरमू राय, सदस्य, सागर जिले में गरीब वर्ग के छात्रों को पाठ्य पुस्तक निगम से निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध न होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. याचिका की प्रस्तुति

श्री रणवीर सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम सड़ में हाई स्कूल खोले जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत करेंगे.

### 5. अशासकीय संकल्प

निर्धारित समय

(1) श्री हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि.

"सदन का यह मत है कि प्रदेश में ऐसे खिलाड़ी जो प्रदेश से जातकर राष्ट्रीय खेल में सम्मिलित होते हैं ऐसे खिलाड़ियों को भी प्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवा में आरक्षण एवं अन्य सुविधायें जो राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रदान की जाती हैं वह उपलब्ध कराई जावे".

(2) सर्वश्री तेजसिंह सेधव, मुन्नासिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

1 घन्टा  
30 मि.

"सदन का यह मत है कि प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर से उत्पन्न संकट एवं सूखे की समस्या के निदान के लिये प्रदेश की समस्त नदियों एवं नालों का व्यापक सर्वे कर उन पर उपयुक्त स्थानों पर स्टाम डेम बनाये जायें".

(3) श्री प्रभाकर सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि.

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के शासकीय संस्कृत महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद पर संस्कृत भाषा के ज्ञाता उपाधिधारी को ही प्राचार्य के पद पर पदस्थ किया जाय".

भोपाल :  
दिनांक : 19 जनवरी, 2001

के.पी. तिवारी  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.